विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 19 सितंबर , 2011 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 48वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की अड़तालीसवीं (48वीं) बैठक डा. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 19 सितंबर, 2011 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 585 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 381 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 30 जून, 2011 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,12,914.36 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 7,14,412 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान, एसईजेड से 3,15,867.85 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2009-10 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 43.11 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अर्थात 30 जून, 2011 तक कुल 72,255.49 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है।

मद संख्या 48.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) ग्राम राजय्यापेटा, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में 108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पेट्रोलियम और तेल एवं गैस उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स प्लैनेट एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

बोर्ड ने नोट किया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2011 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की है। चूंकि भूमि विकासक के कब्जे में नहीं है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने 108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम राजय्यापेटा, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम और तेल एवं गैस उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स प्लैनेट एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) पादुर, कर्नाटक में 41.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना के लिए मैसर्स इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। कर्नाटक सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 26 अगस्त, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पादुर, कर्नाटक में 41.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना के लिए मैसर्स इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) ग्राम बी एम कवाल एवं राचनमाडु, केंगेरी होबली, बंगलौर, कर्नाटक में 12.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के मैसर्स भुवन कम्फर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। कर्नाटक सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने 12.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम बी एम कवाल एवं राचनमाडु, कैंगेरी होबली, बंगलौर, कर्नाटक में 12.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के मैसर्स भुवन कम्फर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 48.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है।

(i) मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हैदराबाद इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड के अंग के रूप में टावर एच01ए और एच08 के प्रचालन एवं अनुरक्षण के साथ अपेक्षित इंटीरियर, अवसंरचना में निवेश तथा विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हैदराबाद इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्टाइलस कामर्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 21,696 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स स्टाइलस कामर्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iii) वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि मुख्य सचिव, गुजरात द्वारा भेजे गए संदर्भ के जवाब में उनसे पूछे गए कुछ प्रश्नों का जवाब अभी तक नहीं मिला है।

(iv) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्वेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्थ बिल्डर्स एलएलपी का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट में सह विकासक द्वारा भुगतान किए जाने वाले अग्रिम शुल्क, यदि कोई हो, तथा किराया व्यवस्था पर कोई वित्तीय ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड से वाणिज्य विभाग द्वारा मामले की अग्रेतर जांच के लिए वांछित सूचना प्रदान करने के लिए कहा गया। इस बात पर सहमति हुई कि अनावश्यक विलंब से बचने के लिए सीबीडीटी की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(v) गंगैकोंडन गांव, तिरुनेवेली जिला, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि जिस भूमि के लिए सह विकासक अनुमोदन की मांग की जा रही है वह अभी तक अधिसूचित नहीं हुई है। अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि विकासक द्वारा इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं तथा भूमि को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 100 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vi) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स विल्लावरयार एंड संस का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 4 एकड़ के क्षेत्रफल में कंटेनर यार्ड, पार्किंग एरिया, वेयरहाउसिंग स्पेस जैसी अपेक्षित सुविधाओं के साथ वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स विल्लावरयार एंड संस के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vii) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। नोट किया गया कि यद्यपि खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा एसईजेड की निर्यात करने वाली यूनिटों को प्रदान की गई मूल्यवर्धन

सेवाओं के महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती है परंतु प्रस्ताव में एसईजेड से भिन्न संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करना आदि जैसे ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर संबंधित विभागों के परामर्श से फाइल पर और जांच करने की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त समाधान की तलाश की जा सके। **तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।**

(viii) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स बेसिक्स एकाडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। नोट किया गया कि यद्यपि कौशल विकास केन्द्र द्वारा एसईजेड की निर्यात करने वाली यूनिटों को प्रदान की गई मूल्यवर्धन सेवाओं के महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती है परंतु प्रस्ताव में ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर संबंधित विभागों के परामर्श से फाइल पर और जांच करने की आवश्यकता है। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 48.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा स्पष्ट किया जाता है कि अधिकृत प्रचालनों के लिए सभी अनुमोदन 24 अक्टूबर, 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन हैं जिन्हें 8 दिसंबर, 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इन शर्तों में अन्य बातों के साथ यह शर्त भी शामिल है कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में विकासकों तथा सह विकासकों द्वारा सृजित अधिकृत सुविधाएं केवल एसईजेड संस्थाओं के प्रयोग के लिए होंगी।

(i) विशाखापट्टनम जिला, तमिलनाडु में एल्युमीनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनार्क एल्युमीनियम लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद सारणी में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए इस शर्त के अधीन मंज़ूरी प्रदान की गई कि आवास की सुविधाएं केवल एसईजेड के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए होंगी :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई मानदंडों के अनुसार प्रति	यूनिट का कुल क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

				यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(i)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	"ए" टाइप क्वॉटर (ग्राउंड + 2)	(6x18)	108	122	13176	
2.	"ए" टाइप क्वॉटर (ग्राउंड + 2)	(9x18)	162	107	17334	82886
3.	क्लब हाउस (ग्राउंड +1)	(1x2)	2	56	112	
4.	गेस्ट हाउस (ग्राउंड +1)	(1x2)	2	389	778	
5.	एचओडी क्वॉटर (ग्राउंड +1)	(7x2)	14	240	3360	
6.	स्कूल एवं खेल का मैदान	(1x1)	1	17910	17910	
7.	स्वीमिंग पूल	(1x1)	1	180	180	
8.	चारदीवारी (कुल : 906 आरटीएमआर)	(1x1)	1	453	453	
9.	शेड	(296x1)	296	98	29008	
10.	फेंसिंग (कुल : 2300 आरटीएमआर)	(1x1)	1	575	575	

(ii) नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इफको किसान एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 225 एकड़ के क्षेत्रफल में एकीकृत डेयरी परियोजना स्थापित करने के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि अनुरोध एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप नहीं है।

(iii) तालुक शिरपुर एवं खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद सारणी में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि आवास की सुविधाएं केवल एसईजेड के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए होंगी : -

क्र. सं.	**अधिकृत गतिविधि का का नाम**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	**आवासीय**	

	1. मजदूर हॉस्टल – 160 यूनिटें	18000
	2. स्टूडियो अपार्टमेंट - 1 बिल्डिंग - 320 यूनिटें	8600
	3. 1 बीएचके अपार्टमेंट - 1 बिल्डिंग - 160 यूनिटें	7000
	4. 2 बीएचके अपार्टमेंट - 1 बिल्डिंग - 320 यूनिटें	27000
	5. 3 बीएचके अपार्टमेंट - 1 बिल्डिंग - 320 यूनिटें	51500
	कुल	**112100**
2.	**वाणिज्यिक**	
	1. मजदूर कैंटीन और क्लब	2000
	2. रिटेल मार्केट	1000
	कुल	**3000**

(iv) मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड द्वारा बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल तथा पेट्रोलियम के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत गतिविधि का नाम**	**यूनिटों की संख्या**	**यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**कुल क्षेत्रफल / क्षमता**
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अनलाइंड रॉक कैवर्न में स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल का भूमिगत भंडारण (जिसमें भूमिगत रॉक कैवर्न का निर्माण तथा भूतल से ऊपर प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना शामिल है)	1	4,23,705.80 (104.7 एकड़)	क्षमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन

(v) कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड जिसे 31 मई 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों जो पहले प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमोदित किए गए थे, को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा**		**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
		यूनिटों की संख्या	**कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फेंडर, बोलार्ड क्रेन रेल के साथ शोर के समानांतर कंटेनर बर्थ	3	73525	73525
2.	कंटेनर फ्रेट स्टेशन	1	102000	102000
3.	ओपन स्टाक यार्ड	1	180000	180000
4.	कार स्टाक यार्ड	1	30000	30000
5.	अन्य बर्थ	2	50000	50000
6.	गेट कम्प्लेक्स एंट्री एवं एग्जिट	1	3000	3000
7.	शोर प्रोटेक्शन बंड	1	12500	12500
8.	ब्रेकवाटर और बर्थ के बीच कनेक्टिंग प्लेटफार्म	1	2000	2000
9.	कंट्रोल टावर, पंप हाउस, टिपिकल सिक्योरिटी, पीएंडएम वर्कशाप के लिए यूटिलिटी बिल्डिंग	7	7150	7150
10.	अन्य यूटिलिटी - ईंधन का सब स्टेशन, क्वे, रिसीविंग यार्ड तथा वर्कशाप पार्किंग बे, तुला सेतु, पार्किंग एरिया, वाटर टैंक और वाशिंग एरिया	9	26,000	26,000
11.	आंतरिक संपर्क के लिए सुविधाएं (किलोमीटर में)	1	30 किलोमीटर	30 किलोमीटर

(vi) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्वेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि निदेशक (एसईजेड), वाणिज्य विभाग एसईजेड साइट का दौरा करेंगे तथा मामले में निर्णय लेने में सुगमता के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(vii) टीपी-1, राय, सोनीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में बैंक की शाखा स्थापित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। बैंक की शाखा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में रिटेल स्पेस तथा यूटिलिटी जैसे कि टेलीफोन कियोस्क, फूड कियोस्क आदि के लिए 15 जनवरी 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6826.55 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के अंदर होगी।

(viii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि निदेशक (एसईजेड), वाणिज्य विभाग एसईजेड साइट का दौरा करेंगे तथा मामले में निर्णय लेने में सुगमता के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ix) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि निदेशक (एसईजेड), वाणिज्य विभाग एसईजेड साइट का दौरा करेंगे तथा मामले में निर्णय लेने में सुगमता के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

मद संख्या 48.4 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) रंजनगांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने 30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रंजनगांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के अनुरोध को विकास आयुक्त के

इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने यथास्थिति एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसने प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 48.5 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम मौजे पूनावाले, मुलशी तालुक, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बेंचमार्क रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 10.01 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम मौजे पूनावाले, मुलशी तालुक, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बेंचमार्क रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(ii) जिला अकोला, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि प्रसंस्करण के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने जिला अकोला महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(iii) 10.926512 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम प्रेगनापुर, गजवेल मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स विवो बायोटेक लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम प्रेगनापुर, गजवेल मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 10.926512 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स विवो बायोटेक लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 48.6 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) साई गांव, पनवेल तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 53.635 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पहले से अधिसूचित एसईजेड में 3.410 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 57.045 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि यदि किसी अधिसूचित एसईजेड के लिए अतिरिक्त भूमि की अधिसूचना के लिए अनुरोध उस क्षेत्र के अंदर है जिसके लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा पहले अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है तो उसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुन: लाने की आवश्यकता नहीं है और वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर निर्णय लिया जा सकता है।

(ii) पुणे लिला, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्यागिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल घटाने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड से 2.299 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.571 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्रफल के संबंध में एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभ वापस कर दिए हैं।

(iii) बाचुपल्ली गांव, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए मैसर्स मेटास हिल काउंटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड से 8.01 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स मेटास हिल काउंटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 13.22 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन

(iv) कनायानूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि में वृद्धि के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। राजस्व विभाग का यह मत था कि चूंकि सन्निकटता स्थापित करने पर काफी व्यय करना होगा तथा पहले से अधिसूचित एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि आईटी / आईटीईएस एसईजेड की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को पूरी करती है, एसईजेड विकासक मौजूदा अधिसूचित एसईजेड में भूखंड को शामिल करने की बजाय एक स्वतंत्र एसईजेड के लिए अनुमोदन प्राप्त करने पर विचार कर सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन एसईजेड को भूमि की वृद्धि के अनुमोदन के विकल्प पर भी विचार किया कि ऐसी अतिरिक्त भूमि तभी अधिसूचित की जाएगी जब मौजूदा एसईजेड के साथ

उसकी सन्निकटता स्थापित हो जाएगी। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने के लिए निर्णय लिया :

(i) अनुमोदित एसईजेड में इस शर्त के अधीन अतिरिक्त भूमि की वृद्धि कि अतिरिक्त क्षेत्रफल को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित नहीं हो जाएगी, और वैकल्पिक तौर पर;

(ii) अलग एसईजेड के रूप में अतिरिक्त भूखंड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन, यदि राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होता है तथा सभी औपचारिकताएं एवं लागू शर्तें पूरी होती हैं।

केरल सरकार के प्रतिनिधि ने विकल्पों की जांच करने तथा उनके और विकासक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विकल्प के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया।

मद संख्या 48.7 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 14 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कैपस्टोन डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) गांव सेहसोला, तहसील टओरू, जिला नूह, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स प्रिमरोज बिल्डवर्थ प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) तालुक शिरपुर एवं खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 01 जनवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स खेड़ इकोनॉकिम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) सेक्टर 143ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएलएफ कॉमर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

(viii) शोलिंगानल्लूर गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएसआरके होल्डिंग (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) रहाका और निमोठ गांव, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए 15.0877 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मयार इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) रहाका और निमोठ गांव, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए 25.7177 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मयार इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xi) गुड़गांव, हरियाणा में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बेस्ट ऑन हेल्थ लिमिटेड का अनुरोध

(xii) विलायत गांव, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में तेल एवं गैस जिसमें उसके डेरिवेटिव्स (पेट्रो रसायन) शामिल हैं, के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 फरवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बन एंड पावर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) काडुगोंडी औद्योगिक क्षेत्र, काडुगोंडी बागान गांव, बिदरहल्ली होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉनकोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) देवनहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक में एयरपोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 28 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 48.8 : औपचारिक अनुमोदन की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध

(i) वेरना, गोवा में जैव प्रौद्‌यागिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इनोक्स मर्कैंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) वेरना, गोवा में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लैनेटव्यू मर्कैंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह मामला 2011 की एसएलपी संख्या 527 और 501 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। इसलिए, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी पर फैसला होने तक उपर्युक्त अनुरोधों को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 48.9 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 8 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) होसुर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

(ii) गुड़गांव-फरीदाबाद रोड, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 दिसंबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

(iv) तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) ग्राम हामीपुर, खेटावास, सैदपुर एवं वजीरपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में अभियांत्रिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 09 अगस्त, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रहेजा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(vi) ग्राम कर्कापटला, मंडल मुलुगू, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 अगस्त, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

सोलंकुरिनी गांव, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रूद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) जम्बूसर, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 सितंबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग एसईजेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार और दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोधों की वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर जांच की जाएगी और निर्णय लिए जाएंगे।

मद संख्या 48.10 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 9 विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक पार्क का अनुरोध

(ii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) नवाल्लूर गांव, चेंगुलपेट तालुक और सेम्मेंचेरी गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) त्रिक्काकारा गांव, कनायान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20

अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

(v) एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

(vi)भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) जुईनगर, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2011 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यूफाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स क्लैरिज एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

(ix) ग्राम चंगी, तालुक उरान, जिला रायगड़, महाराष्ट में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स करंजा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि निम्नलिखित दो प्रस्तावों से संबंधित मुद्दे माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी पर फैसला होने तक निम्नलिखित दो अनुरोधों को आस्थगित कर दिया।

(i) सैंकोयले, गोवा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पेनिंसुला फार्मा रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) भूट खांम्ब, केरिम, पोंडा, गोवा में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडिटैब स्पेसियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 48.11 : चौथे साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) सौरार तहसील, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश में 3487.076 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध के औचित्य तथा परियोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में प्रधान सचिव (उद्योग), मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया। तद्नुसार क्षेत्रीय विकास आयुक्त मामले को उठा सकते हैं। तद्नुसार अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 48.12 : पांचवे साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध के औचित्य तथा परियोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में प्रधान सचिव (उद्योग), पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया। तद्नुसार क्षेत्रीय विकास आयुक्त मामले को उठा सकते हैं। तद्नुसार अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 48.13 : रेवास, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 2850 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि चौथी बार बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स रेवास पोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि न बढ़ाने के संबंध में 31 मई 2011 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया। तद्नुसार, अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

मद संख्या 48.14 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स संड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (रहेजा माइंडस्पेस एसईजेड) द्वारा माधापुर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स पारेक्सल इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड द्वारा हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि का यह मत था कि यदि यह क्रियाशील यूनिट नहीं है तो शिफ्ट होने पर यह आयकर अधिनियम की धारा 10एए के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं होगी। तथापि, यह गैर क्रियाशील यूनिट के मामले में लागू नहीं होगा। इस शर्त के अधीन अनुमोदन बोर्ड ने माधापुर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स संड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

(रहेजा माइंडस्पेस एसईजेड) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए के मैसर्स पारेक्सल जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड द्वारा हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 48.15 : प्रतिबंधित / निषिद्ध मदों के निर्यात के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स स्टर्लिंग एसईजेड एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जंबूसर, भड़ूच, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में दालों के प्रसंस्करण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स पुनीत एग्रो इंडस्ट्रीज का प्रस्ताव

(ii) निषिद्ध माल (दाल) के आयात / निर्यात तथा निर्यात के लिए डीटीए से प्रतिबंधित मदों के प्रापण के लिए मैसर्स जैब्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 53.635 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

(iii) मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 53.635 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में दालों के व्यापार के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स हाजी सत्तार हबीब एंड संस का अनुरोध

(iv) आईटीसी - एचएस के शीर्ष संख्या 0713 के तहत आने वाली दालों की प्रोसेसिंग के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एसआरएसएस फूड्स का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने प्रतिबंधित मदों में डीटीए लेनदेन की संभावना पर अपनी चिंता व्यक्त की तथा संबंधित विकास आयुक्तों को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया कि वे इस बात का किस तरह सुनिश्चय करने का प्रस्ताव करते हैं कि कोई डीटीए लेनदेन नहीं होगा। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले की जांच की जाए।

मद संख्या 48.16 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 25 सितंबर 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेघमणि यूनीचेम एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 25 सितंबर, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 17 जुलाई 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आईटी शास्त्र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एमएडीसी एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 17 जुलाई, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 48.17 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 29 अगस्त 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फाक्सकॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सिपकाट एसईजेड, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अवधि के लिए अर्थात 29 अगस्त, 2012 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 7 दिसंबर 2008 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फाइनस्टार डायमंड जो एसईईपीजेड एसईजेड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 7 दिसंबर, 2012 तक (अर्थात 7 दिसंबर 2008 से) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 48.18 : अनेकल तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में ''जैव प्रौद्योगिकी'' के लिए एसईजेड के सेक्टर की बायोटेक एवं फार्मास्युटिकल उत्पादों को शामिल करते हुए ''जैव फार्मास्युटिकल्स'' के रूप में ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स बायोकॉन के प्रस्ताव पर विचार किया। मैसर्स बायोकॉन ने अनुमोदन बोर्ड से सिंथेटिक तथा जैविक मूल के फर्मास्युटिकल्स को शामिल करने के लिए बायो फर्मास्युटिकल उत्पादों की वर्तमान रेंज बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस समय उनके द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से किण्वन द्वारा उत्पन्न अणु को सक्रिय रूप एवं प्यूरीफिकेशन में परिवर्तित करना शामिल है। विकासक ने बताया है कि सिंथेटिक एवं जैव फर्मास्युटिकल्स का उनकी मौजूदा लाइन में और विस्तार किया जाएगा तथा इससे वे अपनी उत्पादन सुविधाओं एवं अन्य अवसंरचना में उनका इष्टतम उपयोग कर सकेंगे जो पूरी दुनिया में जैव प्रौद्योगिकी फर्मों के व्यवसाय माडल से संगत है। इस संबंध में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की राय भी मंगाई गई। पत्र संख्या जेएस (ए)/डायरी संख्या 1741/2011 दिनांक 15 सितंबर 2011 के माध्यम से सूचित की गई राय में इस बात का उल्लेख है कि स्वीकृत परिभाषा के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी ज्ञान, माल एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए सजीव या निर्जीव वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए जीव जंतुओं तथा उनके अंगों, उत्पादों आदि पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। उसमें यह भी कहा गया है कि व्यवसाय, वाणिज्य एवं व्यापार के प्रयोजनार्थ जैव प्रौद्योगिकी शब्द में उसमें उल्लिखित अनेक गतिविधियां / उत्पाद शामिल हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक का अनुरोध इस आधार पर किया गया है कि वे अपनी महंगी अवसंरचना के उपयोग को इष्टतम करना चाहते हैं, वैश्विक स्तर पर स्वीकृत इस व्यवसाय माडल में प्रचालन करने वाले बायोटेक प्रतियोगियों की तुलना में अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। इन आधारों पर अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा

उपर्युक्त पत्र दिनांक 15 सितंबर 2011 में निर्दिष्ट सीमा पार नहीं की जाएगी ताकि सुनिश्चित हो कि विकासक तथा एसईजेड के व्यवसाय का आवश्यक स्वरूप जैव प्रौद्योगिकी बना रहे।

मद संख्या 48.19 : तालुक शिरूर और खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड के संबंध में डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित डीजल / ईंधन की ड्यूटी फ्री खरीद के लिए मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह एसईजेड नियमावली के अनुरूप नहीं है।

मद संख्या 48.20 : रक्षा बलों को आपूर्ति के लिए एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए अनुरोध

(i) सभी प्रकार के रक्षा एवं वाणिज्यिक शिप वेजल तथा उनके पार्ट्स के निर्माण, मरम्मत, रीफिट एवं परिवर्तन के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड का आवेदन

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सभी प्रकार के रक्षा एवं वाणिज्यिक शिप वेजल एवं उनके पार्ट्स के निर्माण, मरम्मत, रीफिट एवं परिवर्तन के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	उपकरण का विवरण	मात्रा प्रति वर्ष
1.	रक्षा / सामरिक वेजल	36
2.	विशेष प्रयोजन वेजल	20
3.	वाणिज्यिक शिप / वीएलसीसी	8
4.	रक्षा वेजल की मरम्मत / रीफिट तथा पार्ट्स / एग्रीगेट का निर्माण	100
5.	वाणिज्यिक शिप की मरम्मत / रीफिट तथा पार्ट्स / एग्रीगेट का निर्माण	100

शर्तें :

(i) एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड एसईजेड में रक्षा यूनिटों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राधिकारी है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त की प्राप्ति पर डीआईपीपी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(ii) विदेश व्यापार नीति तथा आईसीटी (एचएस) कोड के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मदों के निर्यात को विनियमित किया जा सकता है।

(iii) डीआईपीपी, रक्षा उत्पादन विभाग तथा गृह मंत्रालय के परामर्श से लाइसेंस की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है कि रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए शामिल की गई विशेष शर्तों को रक्षा उत्पादन विभाग की सिफारिश पर डीआईपीपी द्वारा शामिल किया गया है, जिसने इस मामले में गृह मंत्रालय की राय ली थी।

(iv) डीटीए को आपूर्ति के प्रत्येक कंसाइनमेंट की विकास आयुक्त द्वारा बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

(v) घरेलू क्षेत्र में बिक्री करते समय केवल सरकारी एजेंसियों को उपकरण के प्रापण की अनुमति होगी।

(vi) सभी कंसाइनमेंट के साथ सरकारी प्रापण एजेंसी के किसी अधिकृत व्यक्ति को भेजा जाएगा

(ii) हेलीकाप्टर के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेड का आवेदन

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने हेलीकाप्टर बनाने के लिए समशाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में जीएमआर एयरो स्पेस पार्क एसईजेड में रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन मैसर्स इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

(i) एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड एसईजेड में रक्षा यूनिटों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राधिकारी है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त की प्राप्ति पर डीआईपीपी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(ii) विदेश व्यापार नीति तथा आईसीटी (एचएस) कोड के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मदों के निर्यात को विनियमित किया जा सकता है।

(iii) डीआईपीपी, रक्षा उत्पादन विभाग तथा गृह मंत्रालय के परामर्श से लाइसेंस की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है कि रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए शामिल की गई विशेष शर्तों को रक्षा उत्पादन विभाग की सिफारिश पर डीआईपीपी द्वारा शामिल किया गया है, जिसने इस मामले में गृह मंत्रालय की राय ली थी।

(iv) डीटीए को आपूर्ति के प्रत्येक कंसाइनमेंट की विकास आयुक्त द्वारा बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

(v) घरेलू क्षेत्र में बिक्री करते समय केवल सरकारी एजेंसियों को उपकरण के प्रापण की अनुमति होगी।

(vi) सभी कंसाइनमेंट के साथ सरकारी प्रापण एजेंसी के किसी अधिकृत व्यक्ति को भेजा जाएगा

(iii) एयरोस्पेस तथा अन्य उद्योगों के लिए हाई प्रिसीजन कंपोनेंट के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स पीएमआई इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, का आवेदन

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एयरोस्पेस तथा अन्य उद्योगों के लिए हाई प्रिसीजन कंपोनेंट के निर्माण के लिए एमईपीजेड में रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन मैसर्स पीएमआई इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

(i) एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड एसईजेड में रक्षा यूनिटों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राधिकारी है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त की प्राप्ति पर डीआईपीपी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(ii) विदेश व्यापार नीति तथा आईसीटी (एचएस) कोड के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मदों के निर्यात को विनियमित किया जा सकता है।

(iii) डीआईपीपी, रक्षा उत्पादन विभाग तथा गृह मंत्रालय के परामर्श से लाइसेंस की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है कि रक्षा क्षेत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए शामिल की गई विशेष शर्तों को रक्षा उत्पादन विभाग की सिफारिश पर डीआईपीपी द्वारा शामिल किया गया है, जिसने इस मामले में गृह मंत्रालय की राय ली थी।

(iv) डीटीए को आपूर्ति के प्रत्येक कंसाइनमेंट की विकास आयुक्त द्वारा बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

(v) घरेलू क्षेत्र में बिक्री करते समय केवल सरकारी एजेंसियों को उपकरण के प्रापण की अनुमति होगी।

(vi) सभी कंसाइनमेंट के साथ सरकारी प्रापण एजेंसी के किसी अधिकृत व्यक्ति को भेजा जाएगा

मद संख्या 48.21 : मैसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) जो डीटीए की यूनिट है, के लिए जॉब वर्क प्रोसेसिंग करने के लिए मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड जो वड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय हित तथा इसमें शामिल तात्कालिकता और अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस संबंध में अपनाए गए पिछले दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अनुरोध की जांच की गई तथा पिछले अनुमोदन की शर्तों एवं नियमों पर फाइल पर मंजूरी प्रदान की गई। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय की पुष्टि की।

मद संख्या 48.22 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) विनिर्माण की गतिविधि अर्थात आयातित स्क्रैप को अलग करने के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स फ्यूचरिस्टिक मेटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की अपील

(ii) ग्लोबस मेटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने विनिर्माण की गतिविधि अर्थात आयातित स्क्रैप को अलग करने के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था।

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ताओं के प्रतिनिधियों को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह अपील एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) (घ) के प्रावधानों के विरुद्ध है और उपर्युक्त दो मामलों में अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया।

(iii) 28 जून 2011 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध मैसर्स सनमिना - एससीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सिपकॉट एसईजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता के प्रतिनिधि को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि फाइल पर जांच के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा मामले का निर्धारण किया जाए।

(iv) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को निरस्त करने के संबंध में विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स मैकलॉयड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता के प्रतिनिधि को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किया तथा विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड से 31 अक्टूबर 2005 के बाद 5 साल की अवधि के लिए अर्थात 31 अक्टूबर 2010 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को निरस्त करने के आधारों के अलावा इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा कि क्या 31 अक्टूबर 2005 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को विचारार्थ अनुमोदन बोर्ड के पास भेजा गया और इसके बाद ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी कौन है। विकास आयुक्त से रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर अपील की जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 48.1 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) कंकसा, पानगढ़, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 25 जून, 2011 के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 48.2 : औपचारिक अनुमोदन की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध

(i) कंकसा, पानगढ़, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड रियाल्टर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 22 मई, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) चांदपुर चंपागाची, राजरहाट के पास, जिला 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 22 मई, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) मौजा - उत्तर गाजीपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 14 अक्टूबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 48.3 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 02 (दो) विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) मडिकोंडस गांव, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(ii) सिपकॉट औद्योगिक परिसर, रानीपेट, फेज 3, तमिलनाडु में इंजीनियरिंग गुड्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई,

2011 के बाद बढ़ाने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) का अनुरोध

मद संख्या 48.4 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) भड़ूच, गुजरात में रसायन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 20 अगस्त, 2011 के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 48.5 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) चिपाडा गांव, भिमिली मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स दिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मद 48.3 में निर्धारित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया : -

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**यूनिटों की संख्या**	**यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कर्मचारी हॉस्टल	400	9	3600
2.	डायनिंग हाल	2	288	576
3.	मनोरंजन हाल	2	216	432
4.	कम्युनिटी स्टोर	2	72	144
5.	वार्डन रूम	2	9	18
6.	कॉमन एरिया (स्टेयर, ट्वायलेट, कोरिडोर, सीवेज)			7200
			कुल	**11970**

मद संख्या 48.6 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) खर्दपाड़ा, नरौली, दादरा एवं नगर हवेली में 10.30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने खर्दपाड़ा, नरौली, दादरा एवं नगर हवेली में 10.30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स ओम्नीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 48.7 : विलायत, वागरा तालुक, जिला भड़ूच में रसायनों के लिए मैसर्स जुबिलांट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों तथा डिफाल्ट प्रचालनों के लिए आयात किए जाने वाले माल की सूची का अनुमोदन

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा पत्र दिनांक 14 जुलाई 2010 के माध्यम से अग्रेषित पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जुबलेंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा आयात किए जाने वाले माल की सूची को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 48.8 : एसईजेड की चारदीवारी की ऊंचाई कम करने तथा एफआरपी चारदीवारी के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स जीयस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित के लिए मंजूरी प्रदान की :

(i) एसईजेड के चारदीवारी की ऊंचाई 2.4 मीटर से घटाकर 1.8 मीटर करना, और
(ii) एफआरपी चारदीवारी का निर्माण।

मद संख्या 48.9 : एसईजेड में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के संबंध में दिशानिर्देश दिनांक 27 फरवरी 2009 में संशोधन

राजस्व विभाग (डीजीईपी) के प्रतिनिधियों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए और समय प्रदान करने का अनुरोध किया। अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष ने इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया। निर्णय लिया गया कि इसके बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले की जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

मद संख्या 48.10 : विकासक कंपनी में इक्विटी का तनुकरण, प्रमोटर की इक्विटी का अंतरण आदि से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि विभिन्न एसईजेड से विकासक कंपनी में इक्विटी का तनुकरण, प्रमोटर की इक्विटी का अंतरण, विकासक जेवी का अंतरण, विकासक कंपनी का समामेलन / विलय आदि से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अनेक मामले प्राप्त हो रहे हैं। 25 मार्च 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में समान अनुरोधों पर विचार किया गया परंतु अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्ति को दोहराया कि ये लेनदेन भूमि की बिक्री हैं, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत अनुमत नहीं है।

इस संबंध में प्राप्त अभिवेदनों के अलोक में वाणिज्य विभाग द्वारा विधायी कार्य विभाग से इस संबंध में कानूनी सलाह प्राप्त की गई कि क्या अंतरण / बिक्री / समामेलन आदि के माध्यम से इक्विटी संरचना में परिवर्तन भूमि की बिक्री के समान है जो एसईजेड नियमावली के नियम 11 (9) द्वारा निषिद्ध है या यह भूमि की बिक्री की बजाय व्यवसाय की बिक्री है। विधायी कार्य विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि प्रबंधन या शेयर होल्डिंग के पैटर्न में किसी परिवर्तन के साथ कंपनी की पहचान परिवर्तित नहीं होती है। इसके अलावा शेयर कोई धनराशि नहीं है, यह धनराशि के रूप में मापे गए हित को दर्शाता है। इसलिए अंतरण / बिक्री / समामेलन आदि के माध्यम से इक्विटी संरचना में परिवर्तन तथा प्रबंधन में परिणामी परिवर्तन को भूमि की बिक्री या अंतरण नहीं कहा जा सकता है। भूमि कंपनी के स्वामित्व में बनी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि इसे कंपनी के व्यवसाय की बिक्री या अंतरण के रूप में माना जा सकता है परंतु भूमि की बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है।

तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त दृष्टिकोण को स्वीकार किया और नोट किया कि विधि विभाग द्वारा उपर्युक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन इक्विटी के अंतरण के अनुरोधों को अनुमोदित किया जाएगा :

(क) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ख) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(ग) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

निम्नलिखित मामलों के संबंध में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन उपर्युक्त शर्तों तथा फाइल पर जारी किए गए अनुमोदन के संबंध में संबंधित विकास आयुक्तों से रिपोर्ट मंगाई जाए :

- कंपनियों की इक्विटी में परिवर्तन / अंतरण के लिए मैसर्स आचविस साफटेक प्राइवेट लिमिटेड और इसके सह विकासक

- विदेशी निवेशक को कंपनी के शेयरों की बिक्री के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड

- मैसर्स स्टर्लिंग एडलाइफ मुंद्रा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स एसएएमएचपीएल)।

  अहमदाबाद में गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स एसएएमएचपीएल और मैसर्स स्टर्लिंग एडलाइफ इंडिया लिमिटेड (मैसर्स सेल) के बीच समामेलन की योजना का अनुमोदन।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हो गई।

*****